UPJL010028022025

न्यायालयः जिला जज, जालौन स्थान उरई।

उपस्थित– विरजेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

प्रकीर्ण वाद संख्या 43/2025

रामकृपाल सिंह बनाम बृजेन्द्र पाल सिंह आदि

14.03.2026

1. पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। आवेदक रामकृपाल सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मृतक जगत सिंह आवेदक व विपक्षी संख्या–1 के पिता तथा विपक्षी संख्या 2 के पति थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 24.03.2025 को हो गयी है। आवेदक व विपक्षीगण मृतक के अवैधानिक उत्तराधिकारी है। मृतक द्वारा मृत्यु उपरांत छोड़ी गयी धनराशि, जिसका विवरण प्रार्थना पत्र के पैरा 4 में दिया गया है, के संबंध में अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की याचना की गयी है।

2. विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। मुनादी व प्रकाशन कराया गया, किन्तु प्रकाशन व मुनादी कराए जाने के बावजूद विपक्षीगण संख्या 1 व 2 अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई।

3. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि मृतक जगत सिंह आवेदक व विपक्षी संख्या–1 के पिता तथा विपक्षी संख्या 2 के पति थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 24.03.2025 को हो गयी है। आवेदक व विपक्षीगण मृतक के वैधानिक उत्तराधिकारी है। आवेदक की ओर से अपने कथन के समर्थन में प्रार्थना पत्र के समर्थन में सूची 7ग से मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति कागज सं0 8ग1, बैंक पासबुक की छाया प्रति कागज संख्या 9ग, नकल परिवार रजिस्टर की सत्य प्रति कागज संख्या 10 एवं आवेदक तथा मृतक आधार कार्ड की छाया प्रतियॉं कागज सं0 11ग1/1 व 11ग1/2, प्रस्तुत किये गये है।

4. विपक्षीगण की ओर से सहमति कागज संख्या 16ख मय शपथपत्र प्रस्तुत की गयी है, जिसमें विपक्षगण द्वारा मृत्यु उपरान्त छोड़ी गई सम्पत्ति के संबंध में आवेदक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है। आवेदक ने स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र बतौर पी0डब्लू01 न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने मुख्यतः यह कथन किया है कि मृतक जगत सिंह आवेदक व विपक्षी संख्या–1 के पिता तथा विपक्षी संख्या 2 के पति थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 24.03.2025 को हो गयी थी।

5. अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट है कि आवेदक तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 मृतक जगत सिंह के उत्तराधिकारी है। चूँकि विपक्षीगण के द्वारा आवेदक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की

Digitally signed by VIRJENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.31 19:35:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक रामकृपाल सिंह पुत्र जगत सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3ख अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 स्वीकार किया जाता है। मृतक जगत सिंह के द्वारा आर्यावर्त बैंक शाखा पिरौना के बचत खाता सं0 610070100001869 में जमा धनराशि मु॒व0 2,44,165.88/–रूपये (दो लाख चवालीस हजार, एक सौ पैंसठ रूपये अट्ठासी पैसे) मय ब्याज के संबंध में नियमानुसार न्याय शुल्क अदा करने पर आवेदक रामकृपाल सिंह के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए

आवेदक रामकृपाल सिंह को आदेशित किया जाता है कि वह इस आशय की अण्डर टेंकिग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे कि यदि मृतका के किसी अन्य नजदीकी वारिस द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर आपत्ति की जाती है, तो वह उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को न्यायालय को समर्पित करेगा तथा यदि उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के माध्यम से कोई धनराशि आहरित की गई है, तो वह आहरित उक्त धनराशि मय 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज न्यायालय में जमा करेगा।

दिनांक 14.03.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
जिला जज,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ.कोड यू.पी.–6525